

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

आसनाथ बनाम गुलाबनाथ वगी

किरम मुकदमा - अर्जा नं. 212 अदालत

नं. मुकदमा 90 / 2024

तारीख दृश्य	दृश्य या कार्यवाही का वर्णन	क्या व तारीख अहकाम जो इस दृश्य की तारीख में जारी हुआ
12/06/24	<p>आज एक पत्रवाली प्रार्थना की ओर से एडवोकेट तेजाराम शांसी द्वारा पेश की गई। अर्जियों से रिपोर्ट बाद प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाये। वकील प्रार्थी के रिपोर्ट पर एक प्रतीक बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी की बहस प्रार्थनापत्र एवं सलमन शायद पत्रों पर विचार करके हुए अस्थायी निकोलाइ इस आशय की जारी हो कि प्रतिवादीगण 1 ता 5 आगामी तारीख पेशी तक वादगात भूमि मौजा रोही राजपुरा हुइठान के खसरा नम्बर 350 रकबा 12500 है। खसरा नम्बर 266 रकबा 75500 है। खसरा नम्बर 370 रकबा 185600 है। कुल रकबा 278300 है। रिपोर्ट व पत्रों की व्यवस्था बनाये रखें। प्रार्थीगण सीपीसी आदेश 39 नियम 3 की पालना करें। यह आदेश भारतभारत प्रोजेक्ट से सम्बन्धित भूमि सरकारी रास्ता एवं रोड एक्ट से प्रभावी भूमि के सम्बन्ध में प्रभावी नहीं होंगे। इसमें यदि अप्रार्थीगण को कोई उज या ऐतराज हो तो नियत पेशी को असावधान या वकालत हाजिर अदालत होकर पेश करे। तहरीर अलग से जारी होकर पत्रवाली आपन्दा वाले तलबी दिनांक 26.06.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Tejendra</i></p>	
26/06/24	<p>पत्रवाली पेश हुई। क्लर करके पत्र वास्तु <i>दादी</i> आपन्दा दि. 25/07/2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Tejendra</i></p>	
23/07/24	<p>पत्रवाली आज पेशी - पत्र पेश होते पत्र पेश हुई। पत्र उद्विग्न (जिन्ही तहरीर) पत्र वरीत द्वारा की गयी। पत्र द्वारा जिले पत्रिका पर पत्रकारों के महत्व समझाते होते पत्र आगे कार्यवाही जारी करने हेतु निवेदन किया गया। आतः जिले पत्रिका - पत्र पत्रिका पर साक्षात् धारा 24 RTA इसी क्षेत्र पत्र जिले रिपोर्ट पत्रिका पर कार्यवाही (निकोलाइ) प्रार्थी निवेदन में शामिल होकर एक पत्र उद्विग्न पत्रिका से।</p> <p style="text-align: right;"><i>Tejendra</i></p>	<p style="text-align: right;">अ.नि. आसनाथ</p>  